ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on Thu the 18th July, 1996, allotted tim Government Legislative Business and Business as follows:—

Business	Time Allc
1. Statutory Resolution seeking disapproval of the Building and other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Ordinance, 1996.	
2. Considering and passing of the Building and other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Bill, 1996, after it is passed by Lok Sabha.	3 Hours (To be dis together)
3. Statutory Resolution seeking disapproval of the Building and other Construction Workers' Welfare Cess Ordinance, 1996.	
4. Consideration and return of the Building and other Construction Workers' Welfare Cess Bill, 1996, after it is passed by Lok Sabha.	
5. Statutory Resolution seeking disapproval of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Amendment) Ordinance, 1996.	3 Hours (To be dis
6. Consideration and passing of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1996, after it is passed by Lok Sabha.	together)
7. General Discussion on Railway Budget for 1996-97.	2 days (To be dis
8. Consideration and the return of the Railway Appropriation Bill, 1996, relating to Demands for Grants on Account (Railways) for 1996-97, after it is passed by Lok Sabha.	together)
9. General Discussion on General Budget for 1996-97.	3 days

The Committee recommended that in order to complete the Listed Government Busines house should sit up to 6-00 p.m. and beyond, if necessary, from Monday, the 22nd July, 199

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up the Calling-Attention. Who is calling attention?... (*Interruptions*)... Mr. Shinde.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: (महाराष्ट्र) मैंने जगह चेंज करली है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: After readjustment of the seating arrangements, this is my first day. So, still I have to reorient my head.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: This is a better place. I can attract your attention very quickly.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: (उत्तर प्रदेश) मैडम, आप जब नहीं थी यहां, खाली-खाली महसूस दे रहा था। इसी वजह से आपका स्वागत है।

CALLING ATTENTION TO MATT OF URGENT PUBLIC IMPORTAN

Non-Payment of Sugarcane prices growers

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actuall Shinde, you don't need to be at any part place in the House. You attract attention everywhere, wherever you are.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJ SHINDE (Maharashtra): Thank you very Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No you the attention of the Government.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJ SHINDE: Yes, Madam. That is the main I hope that this Government will give p attention to this major grievance of the c growers.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Where is the statement?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is coming now. Mr. Gurudas Das Gupta, you don't have to make your presence also felt, having shifted from that place to this place. Now that place has been occupied by Miss Saroj Khaparde. Let us hope that she has not inherited something from you.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदया, मैं गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्यों का भुगतान न किए जाने के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभापति: आप अपना स्टेटमेंट बोल दीजिए।

खाद्यमंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): महोदया, पहली अक्तूबर, 1994 से 30 सितंबर, 1995 तक, यानि चीनी उत्पादक वर्ष 1994-95 के दौरान 1476 लाख टन गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा गया था और उससे 146.43 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। उस समय तक का यह वार्षिक उत्पादन का रिकार्ड था। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा मात्रा में चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई चीनी उत्पादक वर्ष 1995-96 में की है। 30 मई, 1996 तक ही 1505 लाख टन गन्ने की पेराई चीनी मिलों द्वारा की गई और इसी तारीख तक 153.8 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इसके बाद भी चीनी की मिलें काम करती रही हैं। 01.07.96 के रोज 101 चीनी मिलें काम कर रही थीं जबकि पिछले वर्ष इसी दिन 39 मिलें काम कर रही थीं। इस वर्ष गन्ने की पेराई और चीनी का उत्पादन दोनों ही पिछले सभी वर्षों से कहीं अधिक मात्रा में हुए जबकि इसके सामने कृषि विभाग द्वारा अनुमानित गन्ने का उत्पादन 1995-96 में केवल 267 मिलियन टन के आस पास है जो पिछले साल के 271 मिलियन टन के उत्पादन से कहीं कम है। महोदया, मुझे जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, उसमें गन्ना जलाने का भी ज़िक्र था, इसलिए मैं इस पर भी जवाब देना चाहता हूं।

जहां तक किसानों द्वारा गन्ना जलाए जाने की बात है, इस संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार केवल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिलों के 134 हैक्टेयर में पहली फसल की कटाई के बाद अलाभकारी गन्ने को जलाने की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि इन दोनों जिलों में गन्ने की खपत केवल गुड़ और खांडसारी इकाईयों द्वारा ही होती है।, चूंकि वहां कोई चीनी मिल नहीं हैं। इसके अलावा कुछ छुट-पुट आकस्मिक कारणों से गन्ना जलाने की रिपोर्टें आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से मिली हैं लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि यह गन्ना किसानों द्वारा नहीं जलाया गया।

जहां तक किसानों को गन्ने की कीमत चुकाने की बात है 15 मई तक हासिल आल इंडिया आंकड़ों के अनुसार 5831.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके बाद भी 1382.33 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी थी। इस देनदारी में वैधानिक रूप से तय की हुई गन्ने की कीमत (एस.एम.पी.) के अलावा राज्य सरकारों द्वारा या स्वयं निर्धारित कीमत का भी अनुपात शामिल है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदया, भारत के प्रधान मंत्री का मैं प्रथमत: आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि किसान होने के नाते हम सोचते थे कि जब वे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे और कर्नाटक के किसान ग्रोअर की समस्या लेकर भारत सरकार के पास आते थे तो जो इस विभाग के मंत्री थे, उनसे वे इतना ऐजिटेट करते थे कि भारत सरकार ने यदि शुगर फैक्ट्रियां कर्नाटक को नहीं दी तो हम भारत सरकार के दरवाजे पर जाकर भूख हड़ताल करेंगे। महोदया, मैं यह बात उन्हें अभिनन्दन के साथ इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि कल ही उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। जब उत्तर प्रदेश से गन्ना जलाने की कुछ शिकायतें आ गईं, कुछ कम्पलेंट्स आ गईं तो प्रधान मंत्री लखनऊ गये तब उन्होंने वायदा किया कि हम इस पर पूरा ध्यान देंगे। मेरे पीछे दूसरे माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र प्रसाद जी बैठे हैं, उनको प्रधान मंत्री जी द्वारा लखनऊ में दिया गया भाषण याद होगा, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। मैं इसलिए उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ था, अब थोड़ा हो गया है। चीनी मिलों ने किसानों का बकाया 900 करोड़ रु० देना है, उसमें से साढ़े चार सौ करोड़, पांच सौ करोड़ रुपया इमीडिएटली रिलीज करने को कहा है। लेकिन मुझे इन्फोरमेशन यह है कि आज तक केवल 360 करोड़ रुपये ही पहुंचे हैं। हम किसान की समस्या लेकर आते हैं। और यदि किसान दिक्कत में है, हम तुरन्त उसकी मदद न करें, तो आग लगने के बाद, घर जलने के बाद उसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए यदि कमिटमेंट हो तो सरकार को कहीं से भी इमीडिएट पैसा निकाल कर मदद करनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि मंत्री जी बिहार से आये हैं और कुछ साल पहले हमारे यहां चीनी मारीशस से आती थी। सरकार ने एक प्रयास किया और श्री लाल बहादुर

शास्त्री जी ने ''जय जवान, जय किसान'' का नारा दिया था। इस देश के किसानों ने इसको एक नये चैलेन्ज के रूप में लिया कि इरीगेटिड वाटर कनाल पर हमारे किसान हार्टीकल्चर के बजाय गन्ने की पिराई करेंगे। क्योंकि गन्ने की पिराई करने में कष्ट कम है, पेस्टीसाइड कम लगता है और थोड़ा सा मुनाफा होता हैं यदि जब थोड़ा सा मुनाफा होता है और ज्यादा पैसा हार्टीकल्चर जितना नहीं मिलता है तो यह सरकार का काम होगा कि जो छोटे लोग हैं, छोटे केन ग्रोवर हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराये।

इस देश में कोआपरेटिव की मोमेन्ट आ गई, विशेषत: कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में। इस एरिया में कोआपरेटिव बेस पर कई मिलें खड़ी हो गई हैं। महाराष्ट्र में आज 105 मिलें कोआपरेटिव सैक्टर में काम कर रही हैं और वहां पर प्राईवेट मिलें थोड़ी थीं वह भी कन्वर्ट हो गई हैं। जो किसान मेहनत करता है, उसको यह लगता है कि मैं मालिक हूं इस मिल का। यह सरकार समाजवादी होने का नारा देती है, हमारे मंत्री जी समाजवादी हैं, सिद्धान्तवादी हैं और सामाजिक समता, आर्थिक समता के पक्षधर हैं। जो किसान एक एकड़, दो एकड़ गन्ना उगा लेता है; उसको भी फैक्ट्रियां पैसा नहीं देती हैं तो वह किसान कहां जाये? मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय यही रिप्लाई देंगे कि पैसे देने का काम तो स्टेट गवर्नमैंट का काम होगा। लेकिन भारत सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, जैसे आप लेवी शुगर लेते हैं, उन पर लेवी शुगर का एक बन्धन है। वह कंट्रोल शुगर आप लेते हैं उनसे जो छोटे किसान होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में उसका एक परटीकुलर सीजन होता है, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में एक पिक-अप पीरियड रहता है और इन तीन महीनों में उसकी रिकवरी बड़ी अच्छी होती है। एक बार अप्रैल आ गया तो उसकी रिक्वरी बहुत कम होती है। किसान का बड़ा नुक्सान होता है। अप्रैल के बाद ज्यादा से ज्यादा मई तक जा सकता है, फैक्टरियां चला सकते हैं। लेकिन जब इतना गन्ना देश में हो गया है एक करोड़ 65 लाख टन तो जब मैं फिगर्ज देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक ऐसी नयी क्रान्ति इस देश में आई है। जो हमारा गरीब किसान एक एकड़ वाला, दो एकड़ वाला है, यह उसकी बदौलत है। अभी मैं नैनीताल जा रहा था मैंने आधा इंच का गन्ना रास्ते में देखा। मुझे यह देख कर दुख हो रहा था। हमारी यूनीवर्सिटीज़ क्या काम करती है? एक तरफ डेढ़ इंच वाला गन्ना और जिस उत्तर प्रदेश में आधा इंच का गन्ना है तो बड़ी मेहनत से वहां का किसान फैक्टरी तक अपना गन्ना डाल रहा है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में गन्ना जलाया गया, उत्तर प्रदेश में जलाने का नोटिस आपके पास आया है, इन्हें पता नहीं है लेकिन जलाया है (व्यवधान)

श्री राघवजी: (मध्य प्रदेश) 8 करोड़ का गन्ना दो दिन में जलाया गया है। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने अभी जानकारी दी है (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: ठीक है, बता देंगे। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो छोटा गन्ना है उस किसान को, काश्तकार को कितना कष्ट होता होगा क्योंकि एक तरफ दक्षिण के गन्ने की रिकवरी और दूसरी तरफ उत्तर भारत के गन्ने की रिकवरी में इन दोनों में जब कंपेरिज़न होता हैं, मैं आपको समझाऊं कि हमारे मिश्रा जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, उनको यह एक नया चैलेंज स्वीकार करना चाहिए बिहार में और उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में रिकवरी ज्यादा है तो वहां क्यों कम है? यह भी सोचना चाहिये, यह यूनीवर्सिटी का काम है। क्योंकि जब एक नया चैलेंज स्वीकार करते है.... (व्यवधान)

कृषिमंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): उपसभापति महोदया, इस चैलेंज को हम ज़रूर स्वीकार करेंगे। अपने वैज्ञानिकों से कहेंगे कि इसको देखें। लेकिन एक कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक कारण यह है कि दक्षिण भारत में जो लोग गन्ना पैदा करते है उसको कई बार पानी देते हैं। उत्तर भारत के लोग एक बार भी नहीं दे पाते हैं। इरीगेशन सिस्टम खराब है। हिन्दुओं में यह है कि जब पिता मर जाते हैं तो उनको साल में एक बार पानी देते है। तर्पण देते हैं तो साल भर उसी पानी पर वह चलते है लेकिन गन्ने को ऐसा तर्पण करने की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: उनको पानी अर्पण करने के बजाय अगर खेती को पानी अर्पण करने का काम मंत्री करें तो बहुत अच्छा होगा। गंगा की पवित्रता को यह काली मां के ऊपर ज़रा अच्छी तरह से लगाएं तो मजा आ जाएगा आपको और भारतवर्ष का नाम आपसे जुड़ जाएगा कि एक हमारे कम्युनिस्ट मंत्री जी आए थे उन्होंने हमारे कामगारों और किसानों को ....(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र: सिंचाई हमारा नहीं है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मंत्रिमंडल की तो कलेटिव रिस्पोंसिबिलिटी होती है। सिंचाई की सिंचाई करिये और पानी अपनी तरफ लाइये। महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि आज भी कई दिनों से महाराष्ट्र में मैं

यह देख रहा हूं कि वहां 105 मिलें हैं। और वहां का सीज़न मई के बाद नहीं होता था। आज जुलाई हो गया है आज भी 16 लाख टन गन्ना खेतों में खड़ा है। आज मैंने सुबह चीफ मिनिस्टर से इनफॉरमेशन ले ली चाहे चीफ मिनिस्टर हमारे विरोधी दल के हों लेकिन किसान किसी पक्ष का नहीं है न बी.जे.पी. का है और न कांग्रेस का वह किसान हमारा काली मां को प्रेम करने वाला सच्चा भारत का सेवक है। इसलिए मैंने आज सुबह फोन किया और जानकारी ली कि कितना पैसा भारत सरकार से आने वाला है। यदि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को पैसा देती है तो वही न्याय कर्नाटक के साथ होना चाहिये, वही न्याय महाराष्ट्र के लिए होना चाहिये और वही न्याय बिहार के लिए होना चाहिये। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय अच्छी तरह से न्याय दिलायेंगे। मैं थोड़ी सी फिगर्ज़ देख रहा था। बिहार में 10 लाख 33 हजार 236 टन का प्रोडक्शन हो गया है और यू.पी. में 43 लाख 29 हजार 820 टन का प्रोडक्शन हो गया है। और स्टाक कितना है? बिहार में 70,09,689, यू.पी. में 29,96,279, गुजरात में 11 लाख प्रोडक्शन है और 8 लाख का स्टाक है। महाराष्ट्र में 53,06,401 का प्रोडक्शन है। स्टाक कितना है? 40,31,005 स्टाक है। महाराष्ट्र पूरे देश में 40% प्रोडक्शन करता है। किसानों की आज वहां इक्नामी बनी है और कोआपरेटिव फील्ड में पूरे देश में महाराष्ट्र जितनी मिलें कहीं नहीं है। आज एक नयी पालिसी, डीलाइसेंसिंग पालिसी आ रही है। एरिया कोआपरेशन जब आप करना चाहोगे, आज भारत में यह स्थिति है कि जितनी ये जो फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज के कौन से एरिया के बाहर आप यह आपरेशन करना चाहते हो, उसका असर कोआपरेटिव पर क्या होगा? आज भी हमारे पास यह कोआपरेटिव सिस्टम चलाने के लिए जब दिक्कतें आती हैं तो हम उसको पैसा नहीं देते है। मैं एक बात बताना चाहता हूं मैडम। इनका केन डेवलपमेंट फंड है। यह केन डेवलपमेंट फंड और बफर्स स्टाक के लिए हर थैले के पीछे 14 रुपए इकट्ठे करते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक 2 हजार करोड़ रुपये उसके इकट्ठे हुए है। एक हजार करोड़ रुपया इनके अच्छे काम के लिए आया है। यह पैसा काहे के लिए लेते हैं और किससे लेते हैं? यह किसानों का पैसा है, दूसरों का तो नहीं है। जब डेवलपमेंट का पैसा किसानों से लेते हो तो किसानों को वापस देना चाहिए पैसा जब किसान दिक्कत में हैं। तो मैं कहूंगा कि एक तरफ एक्सपोर्ट की परमिशन बहुत कम है। कितनी हमने एक्सपोर्ट की परमिशन दी है? जब 165 लाख हमारा प्रोडक्शन है, 5 लाख का एक्सपोर्ट का परमिशन हम दे रहे है। इन कम्पैरजन टु प्रोडक्शन 5 लाख के लिए कहेंगे कि नहीं प्रायवेट में भी आप दे सकते है। लेकिन सरकार की ओर से 5 लाख का है। जबकि काटन ग्रोइंग के लिए आप अलग अलग देशों में नयी संस्था को देखते हो, नया मारकेट देखते हो। आपको याद होगा, 2 साल पहले चीनी बाहर से मंगानी पड़ी थी और यहीं के, वहीं के, सभी जब हम वहां बैठते थे, चिल्लाते थे कि कुछ घोटाला गया है उसमें। वह घोटाला हो गया है। वह देख लेंगे। कोर्ट का काम है आपका काम नहीं है यह। तब ये बातें आ गयीं। तो चीनी का घोटाला क्यों हो गया? हमारे को निर्यात करना पड़ा। आज देश में इतनी चीनी हमारी तैयार होती है। तो क्यों हम यह आपरचुनिटी दें इम्पोर्ट करने की। इसी के लिए नयी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी?

मैं समझता हूं कि यह राज किसानों का है। यह राज काश्तकारों का है। यह राज हमारे रोजगारदारों का है। जब यह गरीबों का राज है, सोशल पैटर्न आफ सोसाइटी की बातें हम करते है। तो हमारा प्रथम कर्तव्य यह होगा कि हम किसानों की पूजा करें और किसी की नहीं। तभी कहेंगे कि असलियत से हमारे प्रधान मंत्री किसानों के प्रधान मंत्री है और एक किसान है। ऐसे पैची-गैप पर्क करके नहीं चलेगा।

आज मैं उत्तर प्रदेश की मालूमात ले रहा था उत्तर प्रदेश की जब मालूमात ले रहा था तो आज भी वहां क्रशिंग चल रही हैं इसमें बहुत जल्द से कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी कुछ देर नहीं लगाएंगे। मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मालूमात कर लीजिए महाराष्ट्र सरकार से। 1991 एक ऐसा साल था कि महाराष्ट्र सरकार गन्ना खरीद नहीं पायी। कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्रियां गन्ना नहीं खरीद पायीं। लेकिन गन्ना खेत में पड़ा था। क्या करें किसान? कहां जाएं, जो थोड़े कर्जे से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं? मुझे याद है उन दिनों की कि कितने किसानों ने सुसाइड कर ली थी।

इसलिए उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वक्त किसानों की मदद को जाना चाहिए। भारत सरकार उस वक्त हमें मदद नहीं कर रही थी। हमें याद है आज, महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त एकड़ को चार हजार रुपया दे दिया था। खेत में गन्ना खड़ा था लेकिन किसानों को कंपेंसेशन बोल कर वह पैसा दे दिया था। यह जिम्मेदारी केवल आप स्टेट गवर्नमेंट पर सौंप दोगे तो नहीं होगा। जब यह सरकार किसानों की है तो आपका भी कुछ हिस्सा है, तो मैं समझूंगा कि जब लेवी को आप, मेरे ख्याल से 52 रुपीज़ एक्साइज़ देते हैं और फी सेल का अभी आपने 20 जून 1996 को एक सर्कुलर निकाला है आल शुगर फैक्ट्रीज़ के लिए

और उसमें सुविधा दे दी है जो कि एक जून तक आपने दी है। जो सीज़न रहता है उस हिसाब से उस बेचारे का नुकसान रहता है। वह सर्कुलर मेरे पास है। लेकिन असलियत उस बेचारे की है और उसी के लिए यह मैंने कहा था कि मार्च तक उसकी रिकवरी अच्छी आती है। ....(व्यवधान)

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश): हम मार्च में थे कहां?

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: अरे आप मार्च में नहीं थे....(व्यवधान)

श्री सोमपाल: 47-48 वर्ष के बाद आप हमें पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा षड़यत्र आपने इस देश के किसानों के साथ किया है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: ठीक है .... (व्यवधान) कहानी पढ़ाने से ही रामायण और महाभारत अच्छी तरह से समझ जायेंगे। नहीं पढ़ायेंगे तो नहीं समझोगे। इसलिए तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। मार्च में आए, अच्छी तरह से अभी आप मार्च करिए। यह ठीक मार्च नहीं होगा तो किसान डंडा लेकर आगे भागेगा। यह आप ख्याल में रखना ....(व्यवधान)

उपसभापति: सोमपाल जी आपका नाम है। आप अपने भाषण में बोल सकते है। चूंकि एक घंटा है और एक बजे मुझे हाउस भी एडजर्न करना है। ....(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: नहीं, वह सोमपाल जी है, इसलिए मैं सोम का कुछ उपयोग यहां नहीं करना चाहता हूं। वह गन्ने से जो अल्कोहल होती है, मौलेसिस होता है, अभी अच्छा बोला आपने, नहीं तो मैं बोलने वाला नहीं था। महोदया, हमारे पांच परसेंट की शूगर हो रही है और मौलेसिस 10 परसेंट हो रहा है। कहां रखोगे? गवर्नमैंट आफ् इंडिया की मौलेसिस के बारे में क्या पालिसी है। यह अभी हरियाणा में जो फैक्ट्रीज़ चल रही थीं बंद कर दी आपने लिंकर वगैरह वह बंद करना, न करना, वह गांधीवादी विचार सब मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक स्टेट चलाना यह कोई आसान बात नहीं है। मौलेसिस की जब बात आती है, अभी मंत्री जी उत्तर देंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि यह जो लेवी की ड्यूटी है एक्साइज़ उस पर 52 रुपीज़ लगा है और जो फ्री सेल का है रुपीज़ 85 है एकसाइज़। यह किसान जब दिक्कत में आज है तो यह फ्री सेल पर आप फाइनांस मिनिस्ट्री को, प्रधान मंत्री जी को, मंत्री जी आपको उनको बोलना चाहिए कि मेरा किसान मर रहा है तो वही लेवी ड्यूटी पर जो 52 रुपीज़ लगाते हैं जो आपके सर्कुलर के जरिए यह जब से और मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट मई से यह एप्लीकेबल होना चाहिए और 52 रुपीज़ यह ड्यूटी वहां आपको लगाना चाहि तभी किसानों को उसका फायदा होगा। प्रचेज़ टैक्स महाराष्ट्र सरकार ने इस वक्त थोड़ी मदद की है लेवि गवर्नमैंट को भी आपको कहना होगा कि प्रचेज़ टैक्स बारे में किसानों के लिए सुविधा उपलब्ध करा देनी चाहि महोदया, जब तक ये बातें हम सरकार की ओर से स गवर्नमैंट को नहीं बतायेंगे तो वह भी एक्टिव नहीं सकेंगी मैं दूसरी बात करूंगा, महोदया, मुझे आप बार-ब कह रही हैं कि अभी कन्क्लूड करिए, तो मैं इतना कहूंगा कि जो पूंजी मिलनी चाहिए उस स्टेट के जो रिसं क्रंच होते हैं तो जब कोई स्टेट में नई पालिसी चल रही नई कुछ सुविधाएं चल रहीं हैं, योजनाएं चल रहीं उनको राज भी चलाना होता है तो ऐसे वक्त भारत सरव को, आपको रिज़र्व बैंक को डाइरेक्शन देना चाहिए यह नहीं कहूंगा कि जैसे महाराष्ट्र ने 1991 में कंपैंसेशन दिया था तो एक बार आपने लोन देने की पूरी सोच द दें ऐसा मैं नहीं कहूंगा।

आप उन सरकारों को, स्टेट्स को लोन दीजिए। कोई फ्री नहीं मांग रहे हैं। वह गारंटी देंगे। आप उन क्रेडिट दें ताकि यह पैसा किसानों को चला जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि प्रथम दिन ही मैं एक क्युश्च पर मंत्री जी का रिप्लाय सुन रहा था और वह बड़ी स्पष्ट से, बड़े दिल से कह रहे थे। किसानों के नेता की बोल रहे थे और वह हैं भी। अब कल लोकसभा में आप ने बात की, वह कुछ आधी-अधूरी थी आप उ मार्चिंग की बात करिए। ठीक है, कल तक दूसरे का था। गलती की होगी, लेकिन हम ऐसे जवान हैं कि देश को लीड करना चाहते हैं, कल की गलती दूर क चाहते हैं। और नई उम्मीद से हम किसानों को अपने पर खड़ा करना चाहते हैं। इस के लिए हम रिजर्व बैंक डायरेक्शन देंगे। इस के लिए हम एक्साइज में माफी इस के लिए हम एक्सपोर्ट की ज्यादा सुविधा उपल कराएंगे। आज जो हमारा बफर स्टॉक है, उस का फ्लक्चुएशन फंड है जैसे स्टेट में डवलपमेंट फंड होत उस में से भी पैसा निकाला है। उसी तहर से एक ह करोड़ में से 4-5 सौ करोड़ रुपया इस कार्यक्रम के निकालें। फिर यह पैसा वापिस आ सकता है। मैडम भी केन ग्रोअर हूं। मैं भी कोआपरेटिव सोसायटी का हूं। उस का मुझे पता है। आजकल मैं ग्रेप में शिफ्ट गया हूं। ग्रेप में पैसा अच्छा मिलता है। ....(व्यवधान

उपसभापति महोदया, मैं मंत्रीजी से विनती करूंगा आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं। कि किसान आप की देख रहा है और मुझे आप से पूरी उम्मीद है और आश गन्ना पैदा करने वाले जो किसान हैं, वह गन्ना जलाने

कोशिश नहीं करेंगे। आप उन के पेट को नहीं मारेंगे बल्कि उन्हें शान में खड़ा करने का काम करेंगे। इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramachandran Pillai. I must just make it known to the Members that today being Friday we have Private Members' Business starting at 2.30 and we will speak on this subject till 1 o'clock and we will discuss it and then after lunch we will have only half-an-hour. If you can confine yourself to the specific points, it will be good and everybody will be able to participate.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Thank you, Madam. I will be brief.

Madam, I carefully listen to the statement made by the Minister. I am sorry to state that he has nothing to offer to protect the interests of the peasantry, particularly the poorer sections who constitute an overwhelming majority of the peasantry. This sugar industry is one of the largest processing industries in our country. There are a lot of problems, but we when discuss the problems of the sugar industry, the problems of the peasantry and particularly the problems of the poorer sections of the peasantry are ignored, neglected and pushed to the background. There are four crores of peasants who are cultivating sugarcane in this country and many of the mill owners are not promptly paying the price of sugarcane that they crush. The Minister has admitted that as on 15.5.96 the arrears are Rs. 1,382.33 crores. But according to my knowledge, at present the arrears will come to the tune of more than 1,500 crores of rupees.

So, these huge arrears are causing irreparable loss and hardship to the peasantry, particularly the poorer sections of the peasantry. Actually both the Central Government and the State Governments are not taking appropriate seteps to pressurise the mill-owners to pay these arrears. According to the provisions of the Sugar Order issued in 1966 there are ample powers and there is a stipulation in that particular Order that the mill-owners should pay the price of the sugar-cane offered by the peasants within 15 days of its production in front of the mill. There is also a provision that if the mill-owners fail to pay the price, an interest of 15% should be charged on the price of sugar-cane. I want to know from the hon. Minister whether any such action has been taken against the mill-owners. No action has been taken. So, this is continuing. It is learnt from the Press reports that the present Government has recently given many concessions to the mill-owners in the country. But the Government has failed to link the concessions with the payment of arrears. It has also permitted the mill-owners to sell sugar in free-sale market 30% more than that of last June quota. A lot of discussions are going on regarding increasing the export quota and also the buffer stock. There is also a talk about delicensing the sugar-mill industries. I am not going into the merits of all those things. When the Government issues orders giving more and more concessions to mill-owners it should also see the sufferings of the peasantry and it should also link these concessions with the payment of arrears to the peasantry. A lot of anarchy is there in the sugar industry. At certain times we see that there is overproduction and at certain times under-production. They are crushing not only the sugar-cane but also the peasantry of the country. Of course, mill-owners are involved in that. Some corrupt politicians are involved in that. Some corrupt bureaucrats are involved in that. I would request the Minister to come forward with a new sugar policy taking into consideration all these aspects. Then only the interests of the country, the interests of the consumer, the interests of the peasantry and also the interests of the industry could be protected.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, so far as Tamil Nadu is concerned, this is a burning issue because I come from that State. The sugar-cane growers are allowed to grow sugar-cane but the cutting order is not issued in time. The gestation period for sugar-cane is only 12 months. But the cutting order is issued after 18 months. By that time the sugar-cane gets overgrown and as a result of which it becomes weightless. This causes heavy losses to the cane growers and they do not even get any return equal to the expenses which they incur to raise the sugar-cane. It is true that most of the sugar-cane growers are destroying the sugar-cane. At times when the sugar-cane growers want to cut the cane and make sugar candy and other things, what we call

"vellam" in Tamil, they are prosecuted by the sugar mill-owners and the damage is collected from them.

They are not given an opportunity to cut it earlier and get the benefit out of it. At the same time, the cane growers are being penalised and punished. This is the situation. I have to know that several licences have been given to private mill-owners in Karnataka and other places. But several such applications are pending in Tamil Nadu. These applications were not considered at all. Had licences been given to private mill-owners, necessarily, the problem of not allowing suger-cane to be cut within 12 months, would have been solved. They would have been benefited out of it. I would like to say one thing more. Everywhere labour problem is being faced for raising other crops. Labourers are not easily available for raising other crops. They are easily available for this crop. But here also they are put to a lot of hardship. Now by increasing the number of sugar mills, by giving licences to private sugar mill-owners, this problem will be solved and agriculturists will be very much benefited. A lot of inconvenience is being caused to the cultivators. Several things are involved in it-fertilizers, labour problem and several other things. But they are getting very less in return. Therefore, I suggest that licences should be given to private mill-owners so that they can freely open sugar mills. It will give a lot of benefit to agriculturists. With these words, I conclude.

SHRI. S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam, I am sorry that I was not here when the hon. Minister read out the statement. While going through the statement, I was really surprised that he only talked in terms of three districts of Madhya Pradesh where sugar-cane crop has been burnt by cultivators. I think it is very obvious that this figure is not correct at all. He should again write to the State Government and get the latest figures; whether the sugar-cane crop has been burnt by cultivators in protest. Since the last two years, many people have been waiting for getting the price of sugar-cane which they had delivered at sugar mills. There are different ways of calculating the payment to be made to cultivators. In some areas even transport charges are not being paid. There is a different kind of system in Maharashtra. Cane has to be delivered at the gates of sugar mills. But the price is determined by the Sub-Committee of the Cabinet of the State Government. In spite of all this, it is a matter of great surprise for all of us that for the last two years they have only paid just the first instalment, but the second and the last instalments have not been paid at all. The Minister will have to go deep into the matter and try to find out actually where the fault lies. He should identify the fault and see to it how best he can possibly remedy the fault which has corrupted the system and give an assurance to cultivators that there money is safe with them and they will be paid. Particularly this year things have been really very bad. For both the cash crops of sugar-cane and cotton in Maharashtra no payment had been made till the end of May. People have suffered a lot and in protest—it was not accidental burning in Maharashtra—they burnt the crop. It was not accidental burning. They are not able to crush the crop and people have been waiting for different reasons. I will not be able to give you all the reasons because of shortage of time. In fact, I will have to be very brief in this matter. That is why, instead of going into details, I will confine myself to some policy issues which are involved in this matter. Madam, in 1977, a similar kind of situation had arisen. All of a sudden we took a jump and reversed the entiry policy and the very next year we were faced with shortage of sugar. I am seeing the same thing happening again. Statements are being made that they are proposing to delicense in some of the areas. Some malpractices do go on in the sugar-cane factories. I have been the greatest critic of these factory owners. But at the same time, this is the only reason for the prosperity of about 40 to 50 villages which are around the sugar factory. These are islands of prosperity where nothing exists. Maharashtra happens to be a very big State where these sugar factories are run on cooperative lines. Even the private sugar factories had to convert to cooperative sugar factories and they are doing very well. Now efforts are being made by some vested interests to do away with this cooperative structure which has been created after a very long time. I would have liked if Shri Chaturanan Mishra was here. In the name of liberalising and modernising the economy we are trying to do something which is going to nullify whatever little we were able

to do for the small farmer. In the case of prosperous farmers, I can understand. But these are areas where we find that a large number of small farmers are involved. The cooperative element, the cooperative structure has done tremendous amount of good to these cultivators. Now in the name of liberalising the economy, we should not forget the basic objective that we had in view. When you liberalise the economy, are you going to give a complete go by to the socialist economy that we had been preaching? Are you in favour of doing this? I am sure that if you go to the extent people are trying to go, you would be nullifying the objective on which this cooperative structure had been built. We have to strengthen the cooperative structure. For God's sake, don't create conditions in which the capitalist economy would be imposed on the people at large. This is the middle way in which the cooperatives have been thriving. If there are any deficiencies, I am not opposed to the idea of applying correctives and seeing that the cooperatives work very well. But you are trying to cut at the very root of its objectives. I am afraid, you are trying to do this, when you are thinking in terms of delicensing the factories and bringing politics into it. By doing this, at least, I have no doubt in my mind that we will be doing a tremendous amount of disservice. This is the kind of disincentive you would be providing by doing away with the cooperative structure and harassing the cultivators who are trying to produce more. There are three issues which the hon. Minister can go into. Firstly, how long would you like the cultivator to keep the stocks of sugar-cane at his cost? These are Government's stocks which are being maintained by the cultivator. Why not evolve a system wherein a bufferstock is maintained by the Government and prompt payments are made to the cultivators? If there is more production in some year, you can never be sure it will be the same the next year or the year after. You may face drought and there won't be much of sugar-cane production. So, it is a long-term policy that you have to follow. If you have overproduction in one year and if you just reverse the process, then I am sure that this will definitely provide a disincentive. I am sure that the present Government is not interested in providing that kind of a disincentive. So, in a great hurry, don't reverse the policy just because there is over-production. After so many years, if we create conditions in which this entire structure, which was with great effort created by Shri Vaikunth Rao Mehta,—he was responsible for creating the co-operative concept in Maharashtra— is going to be destroyed, then I am afraid that it will create a very bad atmosphere and I will not be surprised if you again face the same kind of shortage which, in fact, was experienced in 1978-79. So, my request to the hon. Minister is, kindly go deep into the matter, go to the rescue of these cultivators and try to help them out. If the State Governments do not have the money, you will have to provide the succour, you will have to provide some kind of assistance to them to overcome the difficulty so that ultimately it is not the cultivator who becomes the victim. Let him feel confident. Then, I do not know what has happened this time. When the cheques were issued, unfortunately, even the cheques were not encashed. This is also another malady which, in fact, has crept in only this year. The cultivators were the worst suffers. I am sure that it was unintentional. I do not blame that they did it intentionally. But, at the same time, these are matters which are very vital for the growth of our economy and nothing should be done which, in fact, is going to have some kind of an adverse impact on production. The cultivators have been helping us a lot in what not—in agriculture, in green revolution, in the cultivation of cash crops, pulses, and other things. Cultivators are doing their best. Do not create conditions in which they will again get the feeling that here is a Government which is not interested in helping us out and that it is trying to destroy us. I am sure that the hon. Minister will try to reply to the points which I have raised.

उपसभापति : श्री सोमपाल, ...(व्यवधान) अब आपके जवाब तो देने ही है न उनको। सोम का जवाब किससे देंगे यह अब देखिए। अमृत से देने वाले है, मिठास की बात है।

श्री सोमपाल : उपसभापति महोदया, मैं पहले आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसमें कितना समय मेरे लिए है?

उपसभापति : क्या पूछा आपने।

श्री सोमपाल : कितना समय इसके ऊपर देंगे।

उपसभापति : देखिए, समय तो मेरे हाथ में है नहीं। आप लोगों का समय है। अभी टाईम 12-53 हुआ है,

एक बजे हाऊस एडजोर्न करना है। मेरे पास अभी एक-दो नाम तो है ही और उसके बाद दूसरे नाम है एक-एक मेंबर बोलने वाले ...(व्यवधान)

श्री सोमपाल : मेरा यह सुझाव था कि या तो इसको डेढ़ बजे तक अब चलालें या दो से ढाई बजे फिर चलाएं, क्योंकि मेरा तो ...(व्यवधान)

उपसभापति : हां, दो से ढाई बजे तक तो चलेगा। मगर दो से ढाई सिर्फ आप ही बोलने वाले नहीं हैं।

श्री सोमपाल : ठीक है, मैं नहीं हूं।

उपसभापति : आप तो क्वेश्चन पूछिए। आप स्वयं अनुभवी है। आपको थोड़ी जरूरत है कि आप लम्बा भाषण करें।

श्री सोमपाल : उपसभापति महोदया, इस वर्ष भारत के पूरे इतिहास में जितना बकाया किसानों का है इतना कभी किसी पूर्व वर्ष में नहीं रहा। पिछले साल 621 करोड़ था और इस बार यह 1382 करोड़ 33 लाख हो गया है। इसमें सबसे अधिक मेरे प्रदेश—उत्तर प्रदेश में 581 करोड़ 19 लाख है। दूसरे नम्बर पर आता है आपका प्रदेश—महाराष्ट्र जहां 160 करोड़ 43 लाख है। बिहार में 102 करोड़ 36 लाख है। कर्नाटक में 143 करोड़ 47 लाख, पंजाब में 92 करोड़ 6 लाख, हरियाणा में 74 करोड़ 44 लाख।

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश) : जरा मध्य प्रदेश का भी बतला दीजिए।

श्री सोमपाल : मध्य प्रदेश वाले अगर सोते हैं तो हम किस-किस का बतलाएं। जिनका मोटा-मोटा है बता दिया। बहुत थोड़ा है आपके यहां।

मैं चव्हाण साहब का इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए है और यह निवेदन करूंगा कि अगर आप मध्यान्ह के बाद उपस्थित रह सकें तो मैं आपकी कुछ बातों का उत्तर देना चाहूंगा। मेरे अकेले जनपद में 80 करोड़ रुपया शेष है। तीन ज़िले मेरठ, गाज़ियाबाद और बुलन्दशहर जिनमें 143 करोड़ रुपया मिलों द्वारा देय है। किसान की दुर्दशा जो माननीय सुशील शिन्दे जी ने यहां व्यक्त की, मैं उससे पूर्णत: सहमत हूं। पूरे वर्ष भर उसे अपने घरेलू कार्यों की आवश्यकताओं के लिए प्रतीक्षा और जो फसल के लिए उसको सामान खरीदना है, खाद है, बीज है, कीटनाशक है, मशीनरी की मरम्मत के लिए जो पूर्व वर्ष में फसल या दूसरे कार्यों के लिए ऋण ले रखा है, उसकी अदायगी, उसके ब्याज की अदायगी, बिजली के बिलों की अदायगी और जो राजस्व और दूसरी सरकारी मांगें हैं, उनकी अदायगी। उसके साथ उन पर पैनल्टी लगती है, जो ब्याज लगता है वह और जो सरकारी गिरफ्तारी के वारंट आ जाते हैं, उनको झेलना और उसके 581 करोड़ रुपए, मेरे प्रदेश में 1382। इसका यह अर्थ हुआ उपसभापति महोदया कि इल मिलों की सारी चल पूंजी, सारी वर्किंग कैपिटल किसानों द्वारा दी गई है इस वर्ष में क्योंकि एक महीने से भी कम का साइकिल है, इसमें एक सप्ताह के करीब का पूरा चक्र है गन्ना लेने से चीनी उत्पादन तक का और अगर एक महीने की चल पूंजी मान ली जाए तो 25 प्रतिशत के करीब यह किसानों का बकाया है जो सारे वर्ष में दिया जाना था जितना गन्ना खरीदा गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग ढाई-तीन महीने में जितनी वर्किंग कैपिटल आवश्यक थी इन मिलों के लिए भारत भर की, वह किसानों ने दी है तो हमारी कीमत के ऊपर ये चल रहे हैं जो कहते हैं कि हमने इसमें विनियोग किया है, हमने इसमें निवेश किया है। मैं महाराष्ट्र की सहकारी मिलों की बात नहीं करता हूं, उसमें कुछ किसानों की भी भागीदारी है, लाभ-हानि उनको मिलता है पर मैं पूरे देश की बात करता हूं। उसके उपरान्त किसानों को ट्यूब-वैल लगाना है, मकान बनाने में ज़मीन के ऊपर सुधार करना है, उसकी डोलबन्दी करनी है, उसमें इनवेस्टमेंट के लिए जो खर्च की आवश्यकता है, वह पूरे वर्ष भर मुंह बाए देखता रहता है कि कब आएगा और जब उसकी फसल आई, उपसभापति महोदया, फरवरी तक का भुगतान नहीं हुआ है। मेरे अपने खेत का इस साल एक लाख पैंतीस हज़ार रुपए का गन्ना हमने मिल के ऊपर डाला। कुल दस हज़ार दो सौ रुपया भुगतान हुआ, तैंतीस हज़ार का उर्वरक इस बार उधार उठाना पड़ा है मेरे जैसे व्यक्ति को जिसके अन्य स्रोत भी हैं। जो साधारण किसान है, जो पूर्णत: इसी के ऊपर निर्भर है, उसकी क्या दशा होगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकती हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है। अगर हमें मिलमालिकों से सीधे निपटना होता तो हमें कोई कष्ट नहीं था। शिन्दे जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा।

उपसभापति : आप उधर ध्यान दीजिए मंत्री जी की तरफ। शिन्दे जी मंत्री थोड़े ही हैं।

श्री सोमपाल : मैं उनका समर्थन चाहता हूं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : वे मुझे भी कुछ अर्पित कर रहे हैं, करने दीजिए।

श्री सोमपाल : मंत्री जी के तो कान ही मैं बोल रहा हूं। सरकार के पास इसके भरपूर वैधानिक अधिकार विद्यमान हैं। 1966 का चीनी नियंत्रण अध्यादेश और

983 में वही संशोधित आदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के दर्भ में एक गन्ना आपूर्ति नियमन और क्रय अधिनियम 953, इन दोनों प्रावधानों में सरकारों के पास यह अधिकार द्यमान है कि यदि चौदह दिन से अधिक आपूर्ति के पश्चात् भुगतान नहीं किया जाता तो सरकार मिलमालिकों के विरूद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करके और जिस कार राजस्व की उगाही की जाती है, उसी प्रकार पूरे देश रिकवरी के तौर पर वारंट ईश्यू करके उनको बाध्य कर कते हैं कि किसानों को धन दिया जाए। इतना ही नहीं , इन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत 15 प्रतिशत ब्याज भी कसानों का देय बनता है पर दुर्भाग्य और खेद ही बात है पसभापति महोदया कि जब से 1932 का चीनी धिनियम लागू हुआ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा और वतंत्रता प्राप्ति से अब तक और इस सारे अधिकतर मय मेरे मित्र शिन्दे जी की पार्टी की सरकार रही। आज क इन अधिकारों का उपयोग किसी सरकार ने नहीं किया।

डॉ. रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : बी.जे.पी. ने किया पी. में।

श्री सोमपाल : मुझे जानकारी नहीं है, किया है तो वे धुवाद के पात्र हैं, अगर नहीं किया है तो मैं उनकी भी दा उतने ही ज़ोरदार तरीके से करूंगा। कभी वह रिकवरी र्टिफिकेट ईश्यू नहीं किया गया, कभी इन अधिकारों का योग नहीं किया गया और सरकार स्वयं अपने द्वारा पारित ानूनों का प्रयोग नहीं करे और अपने ऊपर उनको लागू हीं करे, उनका पालन नहीं करे और वह आम नागरिकों , मिलमालिकों से अपेक्षा करे कि वह उनके कानूनों का लन करेंगे, यह हो नहीं सकता।

अगर आम नागरिक पालन नहीं करता है
प. 1.00 तो आप उसको सजा देंगे, उसका गिरफ्तार र लेंगे, उसको जेल में भेज देंगे, उससे रिकवरी कर गे, उसकी सम्पत्ति की कुर्की कर लेंगे लेकिन यदि रकार अपने कानून का पालन नहीं करती है और वह पनी जिम्मेदारी से विचिलित होती है तो उसका क्या रें, उसका इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है?

पिछले महीने के अन्त में आज से दो तीन सप्ताह हले 27 या 28 तारीख को प्रधान मंत्री जी से मिले। मैं वयं उस बैठक में मौजूद था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ड़े ध्यान से बातें सुनीं। जैसा अभी शिन्दे साहब ने कहा क उन्होंने तीन जुलाई को जाकर उत्तर प्रदेश में घोषणा ी कि 31 जुलाई तक बकाया राशि की 50 प्रतिशत शि का भुगतान किसानों को कर दिया जायेगा। मिल मालिकों से, मंत्रालय के अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के गन्ना कमिश्नर से, जिला आयुक्त से, वहां के जो चीनी सचिव है और वहां के जो मुख्य सचिव है, उन सबसे बात की। मेरे सुझाव पर प्रधान मंत्री जी ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को, बैंकिंग विभाग के सचिव को बुलाया, भारत सरकार के कृषि सचिव को बुलाया और सबसे बात करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि यदि मिल मालिकों की कोई समस्या है।

उनके पास श्रोतों का अभाव है तो बैंकों से यह कहा जाये कि वे उनको ऋण उपलब्ध करायें। उनकी कैश क्रडिट लिमिट को बढ़ाये, उनसे स्टाक की सूची मंगाये। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि मिल मालिकों ने यह बहाना कर दिया कि उनके पास कैश क्रडिट लिमिट नहीं है और बैंक हमें पैसा देना नहीं चाहते। जब उसको देखा गया तो पाया कि उन्होंने कम मूल्य पर जानबूझकर स्टाक का मूल्यन आठ रुपये के ऊपर किया हुआ था और इसलिए कैश क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ सकती थी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रधान मंत्री जी से कहा कि उसकी पुनर्मूल्याकंन की बात हो तो बढ़े हुए बाजार भाव से उनके स्टाक का मूल्यांकन किया गया। जब उनके पास इतना कैश है कि उनके स्टाक कैश क्रडिट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है तो रिजर्व बैंक से भी निर्देश जारी कराये तथा स्टेट बैंक और जितने भी बड़े-बड़े बैंक थे उनसे भी निर्देश जारी कराये कि जो भी संबद्ध कारखाने हैं उनके स्टाक की सूची देखकर कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ायें, उनकी सामर्थ्य को बढ़ाये जिससे कि वे किसानों की पेमेन्ट कर सकें।

दूसरी बात जिसको माननीय शिन्दे जी ने भी उठाया और माननीय चव्हाण साहब ने भी कहा कि सारा गन्ना मिलों में पिराया नहीं गया है। यह पहली सरकार है जिसने आदेश पारित किया कि जब तक सारा गन्ना किसान का नहीं उठ जायेगा तब कि मिलों को बन्द नहीं किया जायेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस महीने में रिकवरी कम हो जाती है वह 10-11 प्रतिशत से गिरकर 4-5 प्रतिशत रह जाती है तो उसकी मिल मालिकों को किसी प्रकार क्षति पूर्ति की जाये इसका भी कुछ प्रावधान करने की बात की है। अगर उनकी इस क्षमता को सुधारने के लिए सरकार कोई क्षति पूर्ति करती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु किसानों को पैसा मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में दो-तीन प्रतिशत फसल ऐसी रह गई है जो कि अगले वर्ष तक ले जानी पड़ेगी या जलानी पड़ेगी। यह एक सप्ताह पहले की रिपोर्ट थी। जिन किसानों की फसल बची है उनका तो काफी नुकसान

होगा। देश के सन्दर्भ में वह दो प्रतिशत है लेकिन किसान के सन्दर्भ में वह बहुत बड़ी कीमत है, उससे बहुत बड़ी हानि उसको उठानी पड़ेगी। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: अब लंच ऑवर का समय हो गया है, कृपया आप भाषण समाप्त करिये।

श्री सोमपाल: ठीक है मैं लंच के बाद पूरा कर लूंगा।

उपसभापति: लंच के बाद आपका समय नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों को बोलना है, आप संक्षेप में बात करिए। बस एक मिनट और बोल दीजिए। आई नॉ, एक सवाल पूछ लीजिए।

श्री सोमपाल: उपसभापति महोदया, उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने एक परिपत्र जिला अधिकारियों को जारी किया है कि किसी भी मिल के खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट इश्यू नहीं किया जाये, जारी नहीं किया जाये तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस आदेश का क्या औचित्य है? महोदया, मैं सरकार को और मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाऊंगा। क्योंकि जब गन्ना क्रय कानून उत्तर प्रदेश और चीनी नियंत्रण आदेश, दोनों प्रावधान हैं, दोनों कानूनी व्यवस्थाएं हैं। जिस व्यक्ति ने इस कानून की अवहेलना की है चाहे मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूं परन्तु हम इसको बर्दास्त नहीं करेंगे और हम सर्वोच्च न्यायालय में जायेंगे।

मैं न्यायालय में जाऊंगा और न्यायालय से अवमानना कानून की अवहेलना का आरोप इस सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ मैं स्वयं लगाऊंगा। इसका मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वे इसका उत्तर दें। ...(व्यवधान)... मैं किसानों के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध हूं बजाय सरकार के। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि अन्याय बर्दाश्त करता रहूं।

डीलाइसेंसिंग की बात शिन्दे जी ने अभी कही। महाराष्ट्र में सहकारी मिलों का जो प्रयोग है वह अत्यन्त सराहनीय है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने के बाद हमारा वह प्रयोग बंद होता हो तो मैं उस प्रयोग के विरूद्ध हूं, ऐसे डीलाइसेंसिंग के विरूद्ध हूं। सहकारी उद्यम के इस प्रयोग की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। इसलिए राष्ट्र को अगर कुछ हानि उठानी पड़े, क्षति उठानी पड़े तो हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी चाहिए। पर इसके विपरीत, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं।

उपसभापति : अब नहीं, लम्बी बात न करें, अब आप बंद करिए। मुझे हाउस लंच के लिए एडजर्न करना है। जब मंत्री जी बोलें उस समय... Because I have to keep the time...

SHRI SOM PAL: Madam, only three minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI SOM PAL: Then I will continue after the lunch.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you cannot. I have other names also.

श्री सोमपाल : इतनी देर में तो मेरी बात समाप्त हो जाती।

मैं दो बिन्दुओं पर संक्षेप में अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा।

1932 में एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने लागू किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उस समय यह पाबंदी लगा दी गई कि जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं चाहे वह छोटी ही क्यों न हो जो वैक्यूम पैन टेक्नालाजी का इस्तेमाल करेगी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो खंडसारी उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं वहां आज भी 67 प्रतिशत गन्ना जाता है। उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र में स्थिति भिन्न है। वहां शतप्रतिशत गन्ना मिलों को जाता है। हमारे प्रदेश में केवल 31.5 प्रतिशत गन्ना मिलों को पिछले वर्ष गया और शेष 68.5 प्रतिशत खांडसारी के लिए गया। इस वर्ष 36 प्रतिशत मिलों को गया और 64 प्रतिशत खांडसारी के लिए गया। खांडसारी की रिकवरी चीनी के केवल 3 या 4 प्रतिशत परम्परागत में है और सल्फर की जो इकाइयां हैं उनमें 6-7 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत जाता है। अगर खांडसारी वैक्यूम पैन टैक्नोलाजी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए तो 18—20 लाख टन चीनी अतिरिक्त बन सकती है। राष्ट्र की यह जो हानि हो रही है इसका कौन जिम्मेदार है यह मैं पूछना चाहता हूं। आप कोई भी ऐसा उद्योग भारत में खांडसारी के अलावा बतायें जिसके ऊपर इस प्रकार की आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल का प्रतिबंध हो। क्या यह छोटे उद्योगों पर अन्याय नहीं है? क्या ग्राम उद्योगों के ऊपर यह अन्याय नहीं है? क्या सरकार की यह छोटे उद्योगों और ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति है? मैं शिन्दे जी से पूछना चाहता हूं कि यह उनके यहां नहीं है लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में है। हमारी सहकारी मिलों की जो पूंजी है उसका अंशदान किसानों ने दिया है। पर जब से सहकारी मिली हैं तब से उसका लाभांश, उसका डिविडेंट का एक पैसा भी नहीं दिया गया है। वह सारा सिंकिंग फंड

में दिया जाता है। यही स्थिति शुगर डेवलपमेंट फंड की है। किसानों के लाभार्थ, उनके रिसर्च के लिए, गन्ने की फसल के बचाव के लिए, किसानों की भलाई के लिए उसमें से कभी पैसा नहीं दिया गया, यह मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं। इस प्रकार की मनमानी कैसे चलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र के जो कारखाने हैं उनका प्रबंध सरकारी अधिकारी करते हैं। प्रबंध नहीं कुप्रबंध करते हैं। इस प्रकार सारी मिलें घाटे में चल रही हैं। पिछले 19 सालों से मिल के प्रबंध बोर्डों के चुनाव नहीं कराए गए। उनको वहां के पी.सी.एस. आफिसर चलाते हैं। एक-एक पद पर जाने के लिए वे कई-कई लाख रुपया रिश्वत देते हैं कि हमारी वहां नियुक्ति कर दी जाए। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सब की जांच होनी चाहिए।

उपसभापति महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की आपूर्ति में बहुत धांधली है। कंप्यूटर से नकली पर्चियां उन लोगों की निकली जिनके खेत में गन्ना नहीं था और गन्ना उगाने वाले किसानों को पर्चियां नहीं दी गईं। दो सौ, तीन सौ, पांच सौ रुपये में वैसा किया गया और जो दूसरे छोटे-छोटे इकाई वाले थे वहां किसानों का 64 प्रतिशत गन्ना 25 रुपये में बिका है। शिन्दे जी मेरी बात सुन लीजिए।

उपसभापति: शिन्दे जी आपका जवाब नहीं देंगे।

श्री सोमपाल: मैं उनका समर्थन चाहता हूं इसलिए उनको बार-बार कह रहा हूं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: ऐसा लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश में जाकर राज करना पड़ेगा।

श्री सोमपाल: उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 67 प्रतिशत गन्ना पिछले साल तक और इस वर्ष 64 प्रतिशत गन्ना 35 रुपये में बिका है और 70 रुपये में मिल के ऊपर बिका है। यह इसलिए हुआ कि वहां क्षमता पूरी नहीं है, लाइसेंस पूरा नहीं है और इनके प्रदेश में 30-32 इकाइयों के लाइसेंस पड़े हैं, वहां मिलें लगती नहीं हैं। यहां लाइसेंस मांगते हैं लोग लेकिन दिये नहीं जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर क्षेत्र की सीमा रखनी हो या आपको फसल नियोजन कराने का अवसर देना हो तो मिल से किसान का सीधा संबंध हो। इसको आप खोल दीजिये। 160—65 लाख टन चीनी इस बार बनी है और हमारी आवश्यकता 125—30 लाख टन है। पिछला स्टॉक पड़ा है। अगले तीन साल तक चीनी की कमी की कोई भी संभावना नहीं है। मैं चाहूंगा सरकार सहकारी मिलों के क्षेत्र को छोड़ कर बाकी को खुला छोड़ दे। खांडसारी उद्योग पर लगा हुआ अन्यायपूर्ण प्रतिबंध जो ब्रिटिश सरकार की जानी मानी नीति थी अपने पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए उसको समाप्त कर दिया जाए। केवल आधा देने का आदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया ...(व्यवधान) किसान विकास पत्र दे दिये जाएं तो 10 वर्ष तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा। मैं इसकी निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं। पूरा पेमेंट हमको इस महीने में या 15 अगस्त तक दिलवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o'clock.

The House, then, adjourned for lunch at eleven minutes past one of the clock.

The House ressembled after lunch at five minutes past Two of the clock.

The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have to make some announcement, Mr. Parliamentary Affairs Minister. The Parliamentary Affairs Minister would like to announce the Government Business for the next week.

STATEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 22ND JULY, 1996

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 15th July, 1996 will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Discussion on the Saturday Resolution seeking disapproval of the following ordinances and consideration and passing/ return of the Bills replacing these ordinances as passed by Lok Sabha:—
   (a) The Supreme Court and High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Ordinance, 1996.